

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्रमांक : राजस्व / 25 / 1958


दिनांक :- 20.1.2026

आदेश

प्रार्थी भीम सिंह पुत्र मनफुलराम जाति छिम्पा निवारी अंगरपुरा जालू तहसील संगरिया के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपने पत्र क्रमांक ए-2/डी/खा-रा/बा-नह/भूअ./134 दिनांक 15.01.2026 द्वारा चक 9 एमजेडी प.न. 174/172 मु.न. 5 किला न. 22, प.न. 134/173 मु.न. 15 किला न. 1, 2, 10 कमाण्ड होने पर राजस्व रिकार्ड में बाराणी से नहरी दर्ज किये जाने हेतु अपनी रिपोर्ट भिजवाई।

अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक तकनीकी/2025/टी-4/2431 दिनांक 08.10.2025 द्वारा चक 13 एमजेडी (चक 9 एमजेडी) प.न. 134/172 किला न. 22, प.न. 134/173 किला न. 1, 2, 10 में से रास्ता,खाला,सड़क, नहर एवं गैर मुमकिन इत्यादि की कटौती नही की जानी बतलाते हुए उक्त रकबा कमाण्ड होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

अतः उक्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि भाखड़ा परियोजना सरकारी भूमि आंवटन एवं बिक्री नियम 1955 के उपनियम 17(3) के अनुसार अंगर कोई अन्तर राशि बकाया हो, तो जमा करवाकर उक्त प्रश्नगत रकबा को राजस्व रिकार्ड में नहरी दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।



(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

क्रमांक:-सम/1959

दिनांक :- 20.1.2026

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार भू-अभिलेख संगरिया को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना करना सुनिश्चित करें।
2. अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़।
3. प्राथोगण.....।
4. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी
संगरिया